2005:CGHC:695

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़)

रिट याचिका संख्या: 1275/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता

सर्जि एड फार्मा, हेल्थ केयर इक्विपमेंट, कलेक्टोरेट के सामने, टाउन क्लॉक, हॉल नंबर 1, दूसरी मंज़िल, जी.ई. रोड, रायपुर, स्वामी–कृष्ण विभूति आनंद, पिता–श्री ए.के. आनंद, आयु–लगभग 38 वर्ष, तहसील एवं जिला: रायपुर (छत्तीसगढ़)

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय, छत्तीसगढ़, मंत्रालय के पीछे, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. नाहर मेडिकल एजेंसीज, बलौद चौक, भाटापारा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. टिविट्रॉन मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, 15 वीं स्ट्रीट, अभिरामपुरम, चेन्नई – 600018 (तमिलनाडु)
5. इंडियन सर्जिकल इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लि., सी–6, हौज खास, दिल्ली – 110016
6. बगरे एंटरप्राइजेज, नियर सिटी कोतवाली, छोटापारा,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

7. दत्त एंटरप्राइजेज लिमिटेड, 56, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065

8. एलेंगर्स मेडिकल सिस्टम्स (पी) लि., एससीओ–71, सेक्टर–20 सी, ट्रिब्यूनल रोड, चंडीगढ़ – 160020

9. गायत्री मेडिकल एजेंसीज, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तेलपारा (होटल अजीत के पीछे), बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

10. सोनू मेडिकल एजेंसी, 108, महालक्ष्मी मार्केट, पंडरी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

11. आइडियल मेडिकल इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, महाराणा प्रताप नगर, जोन–2, भोपाल (मध्य प्रदेश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध तथा अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या निर्देशों, आदेश या आदेशों को जारी करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

2005:CGHC:695

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका संख्या 1275 / 2005</u>

सर्जि एड फार्मा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>आदेश के लिए अगली तारीख: 13 जुलाई, 2005</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

–सही/
एल.सी. भादू
न्यायाधीश
12–7–2005

2005:CGHC:695

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 1275 / 2005

सर्जि एड फार्मा

–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थित:

श्री मनींद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अमृतो दास, अधिवक्ता	याचिकाकर्ता हेतु
श्री प्रशांत मिश्रा, अतरिक्त महाधिवक्ता	उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 हेतु
श्रीमती फौजिया मिर्जा, अधिवक्ता	उत्तरवादी क्रमांक 3 हेतु
श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री कुणाल दास, अधिवक्ता	उत्तरवादी क्रमांक 4 हेतु
श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता	उत्तरवादी क्रमांक 6 एवं 9 हेतु
श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता	उत्तरवादी क्रमांक 7 एवं 10 हेतु
श्री रणबीर सिंह मरहास, अधिवक्ता	उत्तरवादी क्रमांक 8 हेतु

माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायमूर्ति के समक्ष

आदेश

(13 जुलाई, 2005 को पारित)

1. याचिकाकर्ता, जो मुख्य रूप से सरकारी विभागों, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सीय उपकरण बेचने और आपूर्ति करने के व्यवसाय में संलग्न है, ने यह रिट याचिका दायर की है।

इसमें उत्तरवादी क्रमांक 3 के उस निर्णय की वैधता और औचित्य को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की 69 वस्तुओं के संबध में निविदा अस्वीकृत कर दी गई, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उत्तरवादी क्रमांक 3, 4, 8 और अन्य की निविदाएं, कुल लगभग 22 वस्तुओं के लिए, स्वीकार कर लीं।

2. याचिका में प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, जो इस रिट याचिका को प्रस्तुत करने का कारण बने, उत्तरवादी क्रमांक 2 (एन.आई.टी.) ने दिनांक 22–7–2004 को 78 चिकित्सीय उपकरणों की क्रय हेतु निविदा आमंत्रण सुचना जारी किया था। उक्त निविदा का निविदा आमंत्रण सुचना विज्ञापन दिनांक 30–7–2004 को अंग्रेजी समाचार पत्र "इंडियन एक्सप्रेस" में और दिनांक 9–8–2004 को हिंदी समाचार पत्र "नवभारत" में प्रकाशित हुआ। जिसके द्वारा अधिकृत वितरकों/आयातकों से चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गईं। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रारंभ में 6–9–2004 थी, जिसे विज्ञापन दिनांक 9–8–2004 द्वारा बढ़ाकर दिनांक 30–9–2004 कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता का आगे का प्रकरण यह है कि उपरोक्त निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के अनुसार उसने सभी 78 वस्तुओं के लिए निविदा दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। इसके बाद, उत्तरवादी अधिकारियों ने दिनांक 1–10–2004 को दोपहर लगभग 12 बजे उत्तरवादी क्रमांक 2 के कार्यालय में प्री–क्वालिफिकेशन (पूर्व–योग्यता) निविदाओं को खोलना प्रारंभ किया। प्री–क्वालिफिकेशन निविदा खोलने के बाद, 10 सदस्यों की क्रय समिति ने प्री–क्वालिफिकेशन निविदाओं के विवरण और दस्तावेजों की जाँच की। समिति ने यह बताया कि प्री–क्वालिफिकेशन निविदा में योग्य निविदाकारों के नाम बाद में लिखित रूप में सूचित किए जाएंगे। उस दिन याचिकाकर्ता की प्री–क्वालिफिकेशन निविदा की सभी बातें सही पाई गईं, लेकिन 4–5 निविदाकारों के संबंध में यह पता चला कि उनके दस्तावेजों में कुछ अनियमितताएँ और दोष थे।

4. पत्र दिनांक 12–10–2004 (अनुलग्नक पी/5) के अनुसार, याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा सूचित किया गया कि तकनीकी बोली दिनांक 14–10–2004 को खोली

जाएगी। यह निविदा प्रक्रिया का दूसरा चरण था, इसी प्रकार की सूचना अन्य 6 निविदाकारों को भी दी गई। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि केवल 7 निविदाकारों की प्री–क्वालिफिकेशन निविदाएँ सही पाई गईं, अतः यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी बोली केवल उन्हीं 7 सफल निविदाकारों (जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था) की खोली जाएगी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि केवल 7 निविदाकारों की प्री–क्वालिफिकेशन बोली सही पाई गई। अतः यह निर्णय लिया गया कि सभी 7 सफल निविदाकारों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल है, की तकनीकी बोलियाँ खोली जाएँगी। हालांकि, दिनांक 14–10–2004 को जब याचिकाकर्ता बैठक में उपस्थित हुआ, तो उसे समिति से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि समिति को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेज़ों को लेकर संदेह है। ऐसे दस्तावेज़ों की संख्या 18 थी। यह पूरी तरह से निर्धारित प्रक्रिया से हटकर था, क्योंकि ये सभी दस्तावेज़ पहले ही पूरी तरह से जांचे जा चुके थे और समिति की पूर्ण संतुष्टि के बाद ही प्री–क्वालिफिकेशन बोली खोलने का निर्णय लिया गया था। जिन 18 दस्तावेज़ों पर संदेह व्यक्त किया गया, वे प्री–क्वालिफिकेशन का ही हिस्सा थे, और एक बार जब प्री–क्वालिफिकेशन पूरा हो गया, तो उसी मुद्दे को पुनः उठाना क्रय समिति की ओर से पूरी तरह मनमाना और अनुचित था। दिनांक 14–10–2004 की बैठक की कार्यवाही में निम्नलिखित बिंदुओं पर कोई आपत्ति नहीं की गई: (i) एजेंसी अनुबंध में कोई तिथि या वस्तु निर्दिष्ट नहीं थी; (ii) आईएसओ प्रमाणपत्रों में कोई वस्तु नहीं थी; (iii) प्राधिकरण पत्रों में तिथि का उल्लेख नहीं था। याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली में 78 वस्तुओं के संबंध में तकनीकी बोली खोलने के बाद कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, न ही याचिकाकर्ता को किसी भी विवरण या दस्तावेज़ में किसी दोष या कमी के बारे में सूचित किया गया। निविदाकारों को सूचित किया गया कि अब उनकी तकनीकी बोलियाँ, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, तकनीकी समिति को अग्रेषित की जाएंगी।

5. दिनांक 14–10–2004 को क्रय समिति द्वारा की गई प्रक्रिया तकनीकी निविदा से संबंधित नहीं थी, बल्कि यह याचिकाकर्ता के प्री–क्वालिफिकेशन दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी या दोष निकालने का एक प्रयास था। दिनांक 5–11–2004 को, जब निविदाकारों सहित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता की तकनीकी निविदाएँ तकनीकी समिति को भेजी जा रही थीं, तब याचिकाकर्ता को यह जानकर झटका लगा कि लगभग 15 वस्तुओं के संबंध में ही उसकी तकनीकी निविदा क्रय समिति द्वारा तकनीकी समिति को भेजी गई, जबकि शेष वस्तुओं के संबंध में तकनीकी निविदाएँ रोक दी गईं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने तकनीकी समिति की इस कार्रवाई के विरुद्ध दिनांक 5–11–2004 से दिनांक 10–11–2004 तक कई अभ्यावेदन (अनुलग्नक–पी/7) प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ता ने दिनांक 17–11–2004 को फिर से पत्र लिखा, जिसके द्वारा उसे सूचित किया गया कि क्रय समिति ने दिनांक 17–11–2004 को स्वयं एक और बार याचिकाकर्ता के प्री–क्वालिफिकेशन निविदा दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल की, और उसी दिन शाम 5 बजे परिणाम घोषित किए गए। यह स्पष्ट हो गया कि प्री–क्वालिफिकेशन की जाँच, पुनः–जाँच और तीसरी बार जाँच केवल याचिकाकर्ता के दस्तावेजों में कोई अनियमितता या दोष निकालने के लिए की जा रही थी, ताकि उसकी 78 वस्तुओं में से अधिकांश को बाहर किया जा सके। दिनांक 17–11–2004 की निविदा में याचिकाकर्ता यह देखकर हैरान रह गया कि अचानक 4 ऐसे निविदाकार उपस्थित थे, जिनकी प्री–क्वालिफिकेशन निविदाएँ पहले स्वीकार नहीं की गई थीं, और जिनके नाम दिनांक 14–10–2004 को घोषित नहीं किए गए थे। उन्हें दिनांक 14–10–2004 की बैठक में भी नहीं बुलाया गया था, जबकि याचिकाकर्ता को दिनांक 12–10–2004 को नोटिस जारी किया गया था। दिनांक 17–11–2004 को, क्रय समिति ने फिर से प्री–क्वालिफिकेशन निविदा की जाँच प्रक्रिया शुरू की। उसी दिन, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्री–क्वालिफिकेशन दस्तावेजों के संबंध में कुछ आपत्तियाँ उठाई गईं, जैसे कि आई.एस.ओ. प्रमाणपत्र, एजेंसी अनुबंध, प्राधिकरण पत्र आदि, जो निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत थे।

6. यह भी उल्लेख किया गया कि दिनांक 17–11–2004 को क्रय समिति की कार्यवाही में याचिकाकर्ता ने स्वयं अपने लिखावट में टिप्पणी दर्ज की। याचिकाकर्ता ने दिनांक 2–12–2004 को फिर से एक अभ्यावेदन दिया और दिनांक 20–12–2004 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि दिनांक 22–12–2004 को मूल्य निविदा (प्राइस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बिड) खोलने के लिए बैठक होगी। यह पत्र प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि मूल्य निविदा तब तक न खोली जाए जब तक याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निर्णय न हो जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों पर विचार किए बिना, दिनांक 22–12–2004 को मूल्य निविदाएँ खोल दी गई और याचिकाकर्ता ने पाया कि उसकी मूल्य निविदा केवल 12 वस्तुओं के संबंध में खोली गई, जबकि शेष वस्तुओं के लिए मूल्य निविदा नहीं खोली गई। दिनांक 4–1–2005 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को उन वस्तुओं के संबंध में डेमोंस्ट्रेशन (प्रदर्शन) देने के लिए कहा गया, जिनमें उसे (एल–1) (सबसे कम दर वाला) पाया गया था। अन्य निविदाकारों (उत्तरवादी क्रमांक 3 से 11) की मूल्य निविदाएँ भी खोली गईं। याचिकाकर्ता निश्चित रूप से कह सकता है कि उसके द्वारा दी गई दरें अन्य निविदाकारों की दरों से कम थीं, जिनकी शेष वस्तुओं के लिए निविदाएँ स्वीकार की गईं। अंततः दिनांक 3–2–2005 को केंद्रीय क्रय समिति के अध्यक्ष को एक अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला। यहां तक कि उत्तरवादी क्रमांक 3 भी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि पर पात्र नहीं था क्योंकि वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए उसका कारोबार 4.5 करोड़ रुपये से कम था। वर्ष 2002–03 के लिए उसका कारोबार केवल 2.80 करोड़ रुपये था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उत्तरदाताओं द्वारा सही प्रक्रिया अपनाई गई थी और 31 वस्तुओं की क्रय के आदेश दिए गए हैं। इन 31 वस्तुओं की दरें केंद्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए उपकरणों की क्रय एक संवेदनशील विषय है क्योंकि इनमें से अधिकांश जीवन रक्षक उपकरण हैं और गुणवत्ता या विनिर्देशों, शर्तों आदि में कोई भी समझौता अंततः आम जनता को प्रभावित कर सकता है, अतः उत्तरवादीयो द्वारा जनहित में लिया गया निर्णय उचित है और वर्तमान याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया है कि प्री–क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया दिनांक 1–10–2004 से दिनांक 12–10–2004 तक चली। दिनांक 12–10–2004 को पत्र जारी किए गए। क्रय समिति की

बैठक दिनांक 14–10–2004 को हुई। इसके बाद दिनांक 14–10–2004 से दिनांक 20–10–2004 तक निविदाकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए और दिनांक 20–10–2004 को अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, 5 और निविदाकारों को योग्य पाया गया। क्रय समिति ने अभिलेखों के सत्यापन के बाद, प्रत्येक निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर, प्री–क्वालिफिकेशन चेकलिस्ट तैयार की, जिसमें कंपनीवार योग्यता निर्धारित की गई (अनुलग्नक –आर/6)। क्रय समिति ने योग्य कंपनियों के लिए वस्तु–वार प्री–क्वालिफिकेशन रिपोर्ट भी तैयार की (अनुलग्नक –आर/7)। एन.आई.टी. में उल्लिखित प्री–क्वालिफिकेशन शर्तों का मूल्यांकन करने के बाद, कंपनीवार/वस्तु–वार चेकलिस्ट बनाई गई, जिसमें केवल उन्हीं वस्तुओं की दरों को केंद्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, जिनकी क्रय के आदेश उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए थे। 31 वस्तुओं में से केवल इन्हीं वस्तुओं की क्रय की गई है। क्रय समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और केंद्रीय क्रय समिति द्वारा दी गई स्वीकृति निष्पक्ष, उचित, न्यायसंगत और पारदर्शी थी, जिसे इस बात से सिद्ध किया जा सकता है कि जिन 9 वस्तुओं के लिए निविदा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ को स्वीकृति मिल गई है। निविदाकारों को निविदा समिति द्वारा प्री–क्वालिफिकेशन के संबंध में दिय गए निष्कर्षों के विरुद्ध अपनी बात रखने का अवसर दिया गया, अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन किया गया है। दिनांक 14–10–2004 की बैठक की कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि सभी पक्षों को अपना विचार रखने का अवसर दिया गया, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि प्राधिकरण (ऑथराइजेशन) को लेकर आपत्तियाँ उठाई गई थीं। निविदाकारों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल था, ने यह भी बताया कि यदि कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उन्हें दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि मूल्य निविदा (प्राइस बिड) अभी खोली नहीं गई थी। उन निविदाकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, जिन्हें प्री–क्वालिफिकेशन निविदा में अयोग्य घोषित किया गया था, तकनीकी निविदा को अंतिम रूप देने से पहले 5 और निविदाकारों को यह जानने के बाद भाग लेने की अनुमति दी गई कि वे प्री–क्वालिफिकेशन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह कार्य दिनांक 20–10–2004 को क्रय समिति की बैठक में किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. जब जांच में यह पाया गया कि याचिकाकर्ता और अन्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में गंभीर त्रुटियाँ थीं, तो उन्हें बुलाया गया ताकि वे यह स्पष्ट कर सकें कि क्या उन्होंने आवश्यकताओं को पूरा किया है, लेकिन वे अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर सके। अतः जिन दस्तावेज़ों में गंभीर त्रुटियाँ पाई गईं, उन्हें तकनीकी समिति के पास तकनीकी परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया। क्रय समिति ने सभी दस्तावेज़ों की जांच कर सभी वस्तुओं, कंपनियों के नाम, चयनित कंपनियों को सूचीबद्ध किया और वस्तुओं को अस्वीकार करने के कारण भी बताए। याचिकाकर्ता ने निर्माता जैसे सिमेन्स से कुछ असंगत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, और उसके एजेंसी अनुबंध दस्तावेज़ में न तो जारी करने की तारीख थी और न ही निर्माता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर थे। यथासंभव अवसर याचिकाकर्ता और अन्य निविदाकारों को स्पष्टीकरण देने के लिए दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता इन दस्तावेज़ों के संबंध में स्पष्टीकरण देने में असफल रहा। याचिकाकर्ता और अन्य निविदाकारों की बोली को स्वीकार नहीं किया गया है। यह प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अन्य सभी उत्तरवादीयो द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है।

10. मैंने श्री मनींद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अमृतो दास, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए; श्री प्रशांत मिश्रा, आतरिक्त महाधिवक्ता शासन/ उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 के लिए, श्रीमती फौजिया मिर्जा अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 हेतु, श्री पी. दीवाकर वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री कुनाल दास, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 4 हेतु, श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 6 और 9 हेतु, श्री संजय के. अग्रवाल, **रिट याचिका संख्या 1275 / 2005** अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 7 और 10 हेतु; और श्री रणबीर सिंह मरहास, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 8 हेतु को सुना।

11. श्री मनींद्र श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि दिनांक 1-10-2004 की बैठक में याचिकाकर्ता की प्री-क्वालिफिकेशन निविदा को सही और व्यवस्थित पाया गया, और दिनांक 14-10-2004 की बैठक तकनीकी बोली खोलने के लिए निर्धारित की गई, तब क्रय समिति को अब निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों पर कोई प्रश्न

उठाने या उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने आगे दूसरा तर्क यह दिया कि प्री–क्वालिफिकेशन की जांच के दौरान, 5 निविदाकारों के दस्तावेजों में त्रुटि पाई गई थी, लेकिन क्रय समिति उन व्यक्तियों को अपनी त्रुटियाँ सुधारने की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत नहीं थी। यह प्रक्रिया एन.आई.टी. की शर्तों एवं नियमों के अनुसार नहीं थी, अतः इससे पूरे अनुबंध प्रक्रिया की वैधता प्रभावित होती है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरवादीयो को अपने निविदा दस्तावेज़ों में सुधार करने की अनुमति दी गई, जबकि याचिकाकर्ता को कभी भी कोई नोटिस नहीं दिया गया कि वह अपने किसी दस्तावेज़ (जैसे एजेंसी अनुबंध, आईएसओ प्रमाणपत्र या प्राधिकरण पत्र) में किसी त्रुटि को सुधार सके। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उत्तरवादी अपने एजेंसी एग्रीमेंट, आईएसओ प्रमाणपत्र और प्राधिकरण पत्र में सुधार कर सके, यहाँ तक कि उनके वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज़ों में भी, जो कि प्री–क्वालिफिकेशन का मुख्य आधार था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 एन.आई.टी. की शर्तों के अनुसार समय पर निविदा प्रस्तुत करने के योग्य नहीं था, क्योंकि अंतिम तिथि तक उसने वाणिज्यिक कर विभाग से अपना कारोबार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने बाद में 2002–03 और 2003–04 के वर्षों के लिए 4.5 करोड़ रुपये के कारोबार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन यह प्रमाण पत्र निविदा की अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किया गया था। दस्तावेज़ों के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा अपनी वित्तीय क्षमता के संबंध में प्रस्तुत अभिलेख से पता चलता है कि संशोधित विवरणी दाखिल किया गया था, लेकिन अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह साबित करता हो कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा ऐसा मूल्यांकन किया गया था की उसका पिछले दोनों वर्षों में कारोबार 4.5 करोड़ रुपये से अधिक था।

12. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने व्यक्त किया कि उत्तरवादियों ने दिनांक 14–10–2004 से 20–10–2004 के बीच निविदा दस्तावेजों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त किए। उन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता एन.आई.टी. की शर्तों और नियमों को पूरा नहीं करता है। इसी तरह, अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यक्तियों के दस्तावेजों की भी जांच की गई और सभी पक्षों को अपने दोषों को सुधारने की पूरी छूट दी गई, इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता को दोष सुधारने की अनुमति नहीं दी गई, सही नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी/6 द्वारा दोष के बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क किया कि क्रय आदेश उत्तरवादी क्रमांक 2, 3, 4, 8 और अन्य उत्तरवादीयो को दिया जा चुका है, और उन्होंने कुछ आपूर्तियाँ भी कर दी है इसलिए, प्रार्थनानुसार यह रिट याचिका जारी नहीं की जा सकती।

13. श्री पी. दिवाकर, उत्तरवादी क्रमांक 4 के वरिष्ठ अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। यह याचिका क्रय आदेश जारी होने के बाद दायर की गई है और इसे चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए, रिट याचिका खारिज होने योग्य है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि पत्र अनुलग्नक–आर/4–2 दिनांक 17–11–2004 को सभी ठेकेदारों को अपने प्रपत्रों की पुनः जांच के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. श्री बी.पी. शर्मा, उत्तरवादी क्रमांक 6 और 9 के वरिष्ठ अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता ने अपने पद का उल्लेख नहीं किया है। यह याचिका कंपनी की ओर से दायर की गई है, जबकि इसे कृष्ण विभूति आनंद की ओर से दायर किया जाना चाहिए था। कंपनी/फर्म मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती, इसलिए, याचिका खारिज की जानी चाहिए।

15. श्री संजय के. अग्रवाल, उत्तरवादी क्रमांक 7 और 10 के वरिष्ठ अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि कार्य आदेश (अवार्ड) की अधिसूचना एवं कार्य आदेश के संविदा को चुनौती नहीं दी गई है, अतः रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

16. श्रीमती फौजिया मिर्जा, उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अनुलग्नक–आर/3–9 दिनांक 5–1–2005 के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 3 का कारोबार 4.5 करोड़ रुपये से अधिक था और वह विक्रय कर अधिकारी के समक्ष संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने का अधिकारी है। इसलिए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क कि

उत्तरवादी क्रमांक 3 वर्ष 2002–03 और 2003–04 में कारोबार की शर्तों को पूरा नहीं करता, सारहीन है।

17. जहां तक न्यायिक समीक्षा की बात है, 1979 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रामना दयाराम शेट्टी बनाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य (1979) 3 एससीसी 489** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

> "प्रशासनिक प्राधिकारी भी उन्हीं मानकों, नियमों और प्रक्रियाओं से समान रूप से बंधा हुआ है जिन्हें उसने दूसरों के लिए निर्धारित किया है– मानक या नियम की उपेक्षा करना उस कार्यवाही को अमान्य कर देगा जब तक कि वह किसी वैध सिद्धांत पर आधारित न हो, जो न तो तर्कहीन हो, न ही अव्यावहारिक और न ही भेदभावपूर्ण। ऐसी मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध यह नियम अनुच्छेद 14 पर निर्भर हुए बिना लागु होता है।"
>
> "निविदाओं के लिए सूचना में निर्धारित पात्रता के मानक से मनमाने ढंग से विचलन नहीं किया जा सकता। ऐसे मानक से विचलन, उन लोगों के लिए समान अवसर के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा, जिन्होंने पात्रता के मानक को बाध्यकारी मानते हुए अपनी निविदाएँ प्रस्तुत नहीं कीं।"
>
> "निविदाओं या आवेदनों पर विचार करते समय पात्रता के मानक में शिथिलता करना, उन लोगों को अवसर से वंचित करने के बराबर होगा, जिन्होंने स्वयं को अयोग्य मानते हुए आवेदन नहीं किया।"
>
> (बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पुनः, **टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है की न्यायिक समीक्षा का उपयोग न्यायालय द्वारा मनमानी या पक्षपात को रोकने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। शासन राज्य के वित्तीय हितों की संरक्षक है। लेकिन, संविधान के अनुच्छेद 14 में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निविदा को

स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। यदि सरकार सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या सर्वश्रेष्ठ दर प्राप्त करने की कोशिश करती है, तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है की उसका कर्तव्य इस सवाल तक सीमित है कि क्या: (i) निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया; (ii) विधि के तहत नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ; (iii) निर्णय में त्रुटि तो नहीं है; (iv) शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। न्यायालय यह तय करने के लिए नहीं है कि नीति या कोई निर्णय कोई उस नीति के निर्वहन के लिए उचित है। यह केवल यह जांचने तक सीमित है कि नीति को लागू करने में कितनी निष्पक्षता बरती गई। न्यायिक समीक्षा को अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियागत अनुचितता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

19. **एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (2000) 2 एससीसी 617** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "संविदा के अनुबंध के संबंध में, चाहे वह किसी निजी पक्ष द्वारा हो या किसी सार्वजनिक निकाय अथवा राज्य द्वारा, यह मूलतः एक वाणिज्यिक लेन–देन है। वाणिज्यिक निर्णय लेते समय प्रमुख विचार वाणिज्यिक ही होते हैं। राज्य अपने निर्णय तक पहुँचने के लिए अपना तरीका चुन सकता है। वह निविदा आमंत्रण की अपनी शर्तें निर्धारित कर सकता है और यह न्यायिक जांच के अधीन नहीं है। अंतिम रूप से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले वह मोल–भाव कर सकता है। सबसे कम या सबसे अधिक बोली होना अनुबंध देने का एकमात्र मापदंड आवश्यक नहीं है। यदि निविदा की शर्तें अनुमति देती हैं तो राज्य उचित कारणों से किसी शर्त में छूट देने के लिए स्वतंत्र है। राज्य किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार न करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही वह सबसे अधिक या सबसे कम हो। लेकिन राज्य, उसके निगम, साधन और अभिकरण, द्वारा निर्धारित मानदंडों, मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं और वे उनसे मनमाने ढंग से विचलित नहीं हो

सकते। यद्यपि यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, फिर भी यदि न्यायालय पाता है कि निर्णय दुर्भावना, तर्कहीनता या मनमानी से ग्रसित है, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है।"

(बल दिया गया)

20. पुनः **मोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम उल्हासनगर नगर निगम और अन्य (2000) 5 एससीसी 287** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निविदा में नियम एवं शर्तें सरकार द्वारा संविदा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं और ऐसे मामलों में निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी ही निविदा के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने के लिए सर्वोत्तम निर्णायक होता है। यह न्यायालयों का कार्य नहीं है कि वे यह कहें कि विचाराधीन निविदा में निर्धारित शर्तें पिछली निविदा आमंत्रणों में निर्धारित शर्तों से बेहतर थीं। किन्तु, निविदाएं जमा करने की समय–सीमा समाप्त होने के पश्चात्, परन्तु निविदा खोलने से पूर्व, पात्रता शर्त को हटा दिए जाने के मामले में, न्यायालय ने यह माना कि किसी ऐसे निविदाकर्ता को संविदा का अधिनिर्णय, जिसने निविदा जमा करने के समय उक्त शर्त को पूरा नहीं किया था, को उच्च न्यायालय द्वारा मनमाना करार देते हुए सही रूप से निरस्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि शासन ऐसे किसी संबंध में अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति का मनमाने ढंग से चयन नहीं कर सकती या समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. **डब्ल्यू.बी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य** (2001) **2 एससीसी 451** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

"विधि और संवैधानिक मूल्यों का नियम, अनुबंध प्रदान करते समय पालन करना चाहिए। नियम और निर्देश स्पष्ट रूप से भेदभाव, मनमानी और पक्षपात से बचने के लिए हों, जो कि राज्य या उसके बोर्ड द्वारा किसी नियम या शर्त में

ढील देने के पक्ष में नहीं हों, जब तक कि यह नियमों में स्पष्ट रूप से अनुमत न हो।"

"नियमों का पालन करना सार्वजनिक हित में सबसे अच्छा सिद्धांत है।"

माननीय न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि:

"जहां केवल प्री–क्वालिफिकेशन को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को बोली में शामिल होने की अनुमति दी जाती है,तो ऐसे में उसे रुदिवादी दृष्टिकोण बताकर अपालन नहीं किया जा सकता है अन्यथा यह भेदभाव, मनमानी और पक्षपात को बढ़ावा देगा, जो कि विधि के शाषन और संवैधानिक मूल्यों के नियम के खिलाफ है।"

(बल दिया गया)

21. **दत्ता एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडो मर्चेंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (1997) 1 एससीसी 53** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"निविदा स्वीकार करना – निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और खुले तौर पर होनी चाहिए– किसी असंगत आधारों पर शक्तियों के दुरुपयोग किये जाने पर संबधित प्राधिकारी पर दंड अधिरो पित किया जाना चाहिए।"

22. शासन द्वारा निष्पादित किए जाने वाले संविदात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा के प्रयोग के संबंध में उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, हमें वर्तमान मामले के तथ्यों का परीक्षण करना होगा। प्रथमतः, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव ने यह तर्क दिया कि चूँकि दिनांक 1–10–2004 को याचिकाकर्ता को छह अन्य निविदाकारों के साथ पूर्व–अर्हता (प्री–क्वालिफिकेशन) में अर्हताप्राप्त पाया गया था, तत्पश्चात्, उत्तरवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता की पूर्व–अर्हता की पुनः समीक्षा करने का हकदार नहीं था। मुझे आशंका है, यदि संविदात्मक मामलों में ऐसे दृष्टिकोण को लागू करने की अनुमति दी जाती है तो कई बार इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि संबंधित प्राधिकारी गलती कर सकते हैं या पक्षपातपूर्ण तरीके से मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जब निविदाएं तीन लिफाफों में आमंत्रित की जाती हैं, पहला पूर्व–

अर्हता बोली के लिए, दूसरा तकनीकी बोली के लिए और तीसरा मूल्य बोली के लिए, और तीनों जांचों (स्क्रूटनी) से गुजरने के बाद प्राधिकारी द्वारा किसी एक निविदा का चयन किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में, मेरी राय में, जांच के उपरांत अंतिम संविदा निष्पादित होने तक, संबंधित प्राधिकारी पहले से लिए गए निर्णय की समीक्षा करने के लिए सदैव हकदार हैं, यदि किसी निविदाकार द्वारा या कार्यालय द्वारा प्राधिकारी के संज्ञान में कोई त्रुटि, अनियमितता या गलती लाई जाती है। क्योंकि, निविदाकार निविदा के नियमों एवं शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य है, जिसके बिना वह संविदा के लिए हकदार नहीं हो सकता। प्राधिकारी अपने निर्णय की समीक्षा करने और निविदाकार से स्थिति स्पष्ट करने तथा समझाने के लिए कहने हेतु सदैव स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में, वह निविदाकार जिसके मामले की समीक्षा की जा रही है, निःसंदेह, किसी भी निर्णय की समीक्षा या परिवर्तन किए जाने से पूर्व, सुनवाई का और अवसर दिए जाने का हकदार है। इसलिए, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पूर्व–अर्हता बोली की समीक्षा को किसी भी प्रकार से मनमाना नहीं ठहराया जा सकता। इस संबंध में, मेरे विचार को केरल उच्च न्यायालय के **एआईआर 2001 केरल 388 (मेसर्स एशियन टेकस लिमिटेड बनाम केरल राज्य एवं अन्य)** में प्रकाशित निर्णय से बल मिलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अब, इस प्रश्न पर आते हुए कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 2 ने विभिन्न मदों के लिए विभिन्न निविदाकारों का चयन करने से पहले निविदा सूचना (एन.आई.टी.) की शर्तों एवं निबंधनों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों का पालन किया, यदि हम विचाराधीन निविदाओं की जांच में उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को देखें, तो प्रथमतः 1 अक्टूबर 2004 को, 15 निविदाकारों में से, याचिकाकर्ता सहित 7 निविदाकारों को पूर्व–अर्हता के पहले परीक्षण में उत्तीर्ण पाया गया, तथापि, 8 अन्य निविदाकार परीक्षण में अर्हता प्राप्त नहीं कर सके और उनकी निविदाएं प्रारंभिक चरण में ही अस्वीकृत कर दी गईं। यहां तक कि दिनांक 14–10–2004 की कार्यवाही में भी, जो तकनीकी बोलियां खोलने के लिए नियत थी, पूर्व–अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण याचिकाकर्ता सहित 7 फर्मों की तकनीकी बोलियां पक्षकारों की उपस्थिति में खोली गईं। उस दिन तकनीकी समिति से अनुरोध किया गया कि मूल्य बोली खोलने से पहले वे तकनीकी रूप से अनुमोदित पक्षकारों को उत्पाद का नाम, उत्पाद कोड और निर्माता

के नाम के बारे में सूचित करें, और यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 3–4 दिनों के भीतर आपत्ति उठा सकता है।

24. दिनांक 12–10–2004 के पत्रों (अनुलग्नक आर–1) के माध्यम से सीमेंस, ट्राइविट्रॉन, इंटरकार्डियो, मेट्रो फार्मास्युटिकल्स, लार्सन एंड टुब्रो, एलेंजर्स, साइंटिफिक ट्रेडर्स और दत्त एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सूचित किया गया कि सूचना में उल्लिखित निविदा प्रपत्रों की आवश्यकता को पूरा न करने के कारण उनकी निविदाएं अस्वीकृत कर दी गई हैं। दिनांक 14–10–2004 और दिनांक 20–10–2004 के बीच कुछ ऐसे निविदाकारों अर्थात्, एलेंजर्स मेडिकल सिस्टम्स (प्रा.) लिमिटेड, सीमेंस लिमिटेड, इंटरकार्डियो प्रा. लिमिटेड, दत्त एंटरप्राइजेज लिमिटेड, और ट्राइविट्रॉन मेडिकल सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड ने जिनकी निविदाएं पूर्व–अर्हता कार्यवाही में अर्हताप्राप्त न होने के कारण अस्वीकृत कर दी गई थीं, ने अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं। तथापि, याचिकाकर्ताओं और अन्य छह फर्मों को यह जानकारी दी गई थी की दिनांक 14–10–2004 को उनकी तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी। इसलिए, वे आठ फर्में जिनकी निविदाएं पूर्व–अर्हता में अस्वीकृत कर दी गई थीं, ने अभ्यावेदन प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। दिनांक 20–10–2004 को क्रय समिति की कार्यवाही में उनके दस्तावेजों की पुनः जांच की गई और कुछ निविदाकारों को दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी गई और अंततः पांच और निविदाकारों अर्थात्, एलेंजर्स, सीमेंस, इंटरकार्डियो, दत्त एंटरप्राइजेज और ट्राइविट्रॉन को जिनकी निविदाएं अस्वीकृत कर दी गई थीं, पूर्व–अर्हता में अर्हताप्राप्त घोषित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इस प्रक्रिया के विरुद्ध, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि उत्तरवादी संख्या 2 की यह कार्रवाई मनमानी थी। उपरोक्त पांच पक्षकारों की निविदाओं की पुनः जांच उनकी त्रुटियों को सुधारने और उन्हें अर्हताप्राप्त घोषित करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह प्रक्रिया याचिकाकर्ता और अन्य अर्हताप्राप्त पक्षकारों की अनुपस्थिति में, इन पक्षकारों की मिलीभगत से, संदिग्ध और गुप्त तरीके से की गई थी।

26. इस संबंध में, यदि हम दत्त एंटरप्राइजेज, जिसे अंततः पूर्व–अर्हता बोली में अर्हताप्राप्त घोषित किया गया था, के दिनांक 19–10–2004 के अभ्यावेदन को देखें, तो उसके दूसरे पृष्ठ के अंतिम अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है किः "कुछ मदों संख्या 6, 17, 20, 63 और 77 से संबंधित

दस्तावेज़, इन मदों के संबंध में दिनांक 5–12–2005 और दिनांक 21–12–2008 तक के आवश्यक आईएसओ (ISO) और सीई (CE) प्रमाण पत्र हमारे पत्र संख्या डेल/140 दिनांक 1–10–2004 और डेल/145 दिनांक 12–10–2004 तथा इन मदों पर भी विचार करने हेतु दिनांक 18–10–2004 के पत्र के माध्यम से पहले ही जमा कर दिए गए हैं।'" इससे यह पता चलता है कि निविदा दस्तावेज़ दाखिल करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 30 सितंबर, 2004 के बाद, इस फर्म को अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् दस्तावेज़ दाखिल करने की अनुमति दी गई, और इन दस्तावेज़ों पर उसके मामले की समीक्षा करते समय विचार किया गया और उसे (फर्म को) अर्हताप्राप्त घोषित किया गया।

27. इसी प्रकार, गायत्री मेडिकल एजेंसीज, जिसकी निविदा मद संख्या 6, 11, 12 एवं 18 के कारण प्राधिकरण पत्र और एजेंसी अनुबंध के आधार पर अस्वीकृत कर दी गई थी, ने भी दिनांक 18–10–2004 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूर्वोक्त दिनांक 18–10–2004 के अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि "वर्तमान में हम अपने विदेशी प्रिंसिपल (प्रधान) का मूल प्राधिकर और एजेंसी अनुबंध प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया उसी पर विचार करें'।" अतः, इस फर्म ने भी प्रारंभिक चरण में मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए थे। यहाँ तक कि नाहर मेडिकल एजेंसीज ने भी पहले केवल छाया प्रति प्रस्तुत की थी और दिनांक 18–10–2004 के पत्र के माध्यम से उन्होंने इसे प्रस्तुत किया, "'हमने निविदा में ऑप्टो सिस्टम प्रा. लिमिटेड का आईएसओ (ISO) प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु वर्तमान में यह हमारे पास है, उचित अनुमति से हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आईएसओ (ISO) प्रमाण पत्र 'हंटसाइट' (huntsight) पिछले वर्ष समाप्त हो गया था और कंपनी ने उचित अनुमति से इसे नवीनीकृत करा लिया है। हम आईएसओ (ISO) की नवीनीकृत प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।'" इससे यह पता चलता है कि आईएसओ (ISO) प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी प्रकार, आइडियल मेडिकल इक्विपमेंट्स ने भी अस्वीकृति प्राप्त होने के बाद अपने अभ्यावेदन के साथ अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। इसी प्रकार, दिनांक 19–10–2004 के पत्र के माध्यम से सोनू मेडिकल एजेंसी ने उल्लेख किया, "'हमारी गलती से हमने निविदा की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार अपेक्षित निर्माता के दस्तावेजों के बजाय अपने प्रिंसिपलों

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(प्रधानों) के दस्तावेज़ संलग्न कर दिए थे। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त निविदा के लिए निर्माताओं के अपेक्षित दस्तावेजों को कृपया स्वीकार करें और हमें अनुगृहीत करें।'" इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कई दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। बागड़ी एंटरप्राइज ने भी दिनांक 14–10–2004 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि "'उपरोक्त सभी निर्माताओं का उपरोक्त वर्णित भारतीय कंपनियों के साथ विपणन अनुबंध (मार्केटिंग टाई–अप) है और उपरोक्त भारतीय कंपनियों ने हमें आईएसओ (ISO) और सीई (CE) प्रमाण पत्रों के साथ प्राधिकर पत्र प्रदान किया है'।"

28. इसलिए, मेरे विचार में, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उन निविदाकर्ताओं को, जिनकी निविदाएं प्री–क्वालिफिकेशन में खारिज कर दी गई थीं, अंतिम तिथि के बाद आईएसओ प्रमाणपत्र, प्राधिकरण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी, और इन दस्तावेजों पर विचार करने के बाद उन्हें योग्य घोषित किया गया। इसके अलावा, यह कार्यवाही में यह तथ्य दर्ज नहीं किया गया कि इस समीक्षा को कैसे आयोजित किया गया और किनकी उपस्थिति में आयोजित किया गया, निविदाकर्ताओं को जिनकी निविदाएं सही पाई गई थीं, क्या यह अवसर दिया गया कि वे इन दस्तावेजों की जांच करें, और यह देखें कि कौन से दस्तावेज को अभिलेख में लिया गया। इन परिस्थितियों में, यह पूरी प्रक्रिया एक मनमानी तरीके से आयोजित की गई। जबकि दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 को हुई बैठक में, याचिकाकर्ता फर्म को कुछ वस्तुओं के लिए प्री–क्वालिफिकेशन में अयोग्य घोषित किया गया, क्योंकि कंपनी ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए आईएसओ प्रमाणपत्र में उन वस्तुओं की सूची नहीं दी थी, और न ही एजेंसी द्वारा दी गयी अनुबंध में कोई तिथि और सभी वस्तुओ का नाम और प्राधिकर पत्रों में कोई तिथि अंकित नहीं थी। जब अन्य फर्मों को निष्पक्षता से दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी गई, तो याचिकाकर्ता को भी दिनांक 17–10–2004 से पहले उसकी निविदा को खारिज करने से पहले, उत्तरवादी क्रमांक 2 को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और आपत्तियों और आईएसओ प्रमाणपत्र, एजेंसी अनुबंध कब निष्पादित किया गया था एवं प्रधिकर पत्र किस तिथि को जारी किया गया था दर्शाने वाले दस्तावेज जमा करने का अवसर देना चाहिए था। ऐसी अनुमति शुरूआती चरण में दी जानी चाहिए थी। न तो याचिकाकर्ता को कोई लिखित सुचना भेजा गया और न ही किसी कार्यवाही में यह दर्ज

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया गया कि याचिकाकर्ता से इन दस्तावेजों के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने या दस्तावेज जमा करने को कहा गया। इसलिए, समान अवसर और प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा नहीं किया गया।

29. अब, प्रश्न यह उठता है कि क्या उत्तरवादी संख्या 2 निविदाकारों से अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् प्राधिकर पत्र और आईएसओ (ISO) प्रमाण पत्र लेने का हकदार था। इस संबंध में, यदि हम रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 43 पर विशेष नियम एवं शर्तों (एस.सी.सी) की प्रारंभिक परीक्षा के खंड 3 को देखें, तो यह परिकल्पना करता है कि "'क्रेता किसी बोली में किसी भी मामूली अनौपचारिकता, गैर–अनुरूपता, या अनियमितता को छुट प्रदत्त कर सकता है जो सारवान विचलन (material deviation) का गठन नहीं करती हो, बशर्ते कि ऐसी छूट किसी भी बोलीदाता की सापेक्ष श्रेणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले या उसे प्रभावित न करे'।" इसलिए, उत्तरवादी संख्या 2 इस खंड के मद्देनजर केवल ऐसी मामूली अनौपचारिकता या गैर–अनुरुपता या अनियमितता को छुट प्रदत्त करने का हकदार था जो सारवान विचलन का गठन नहीं करती हो, वह भी ऐसी परित्याग के अधीन जो किसी भी बोलीदाता की सापेक्ष श्रेणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले या उसे प्रभावित न करे। मेरी सुविचारित राय में, पक्षकारों को अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद आईएसओ (ISO) प्रमाण पत्र और प्राधिकार पत्र दाखिल करने की अनुमति देना कोई मामूली अनौपचारिकता या गैर–अनुरूपता या अनियमितता नहीं थी, बल्कि यह किसी भी निविदाकार के लिए निविदा दाखिल करने हेतु पात्र बनने की मुख्य शर्त थी। इसलिए, उत्तरवादी संख्या 2 अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 30–9–2004 के बाद इन आवश्यकताओं को छुट प्रदत्त करने का हकदार नहीं था, क्योंकि यह सारवान विचलन था। उत्तरवादी संख्या 2, एक लोक सेवक होने के नाते जिसे सार्वजनिक धन के उपयोग की शक्ति सौंपी गई है, को निविदाकारों की कीमत पर ऐसे सारवान विचलन की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

30. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने पहले ही प्रमाण पत्र जमा कर दिए थे लेकिन, आपत्तियों के अनुसार आईएसओ (ISO) प्रमाण पत्र में मदों की सूची नहीं थी, एजेंसी अनुबंध में कोई तारीख और नाम अंकित नहीं है, और प्राधिकरण पत्रों में कोई तारीख अंकित नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता का मामला भी अन्य पक्षकारों के समान था जिनके अभ्यावेदन स्वीकार किए गए थे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और उन्हें निविदा दस्तावेज दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए, वह भी उत्तरवादी क्रमांक 2/ क्रय समिति (Purchase Committee) से उसी प्रकार का बर्ताव का हकदार था।

31. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय **ने डब्ल्यू.बी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (उपरोक्त)** के मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है की नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा ताकि भेदभाव, मनमानी और पक्षपात से बचा जा सके। नियमों का पालन करना सबसे अच्छा सिद्धांत है, अन्यथा यह एक विशेष दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा जो भेदभाव, मनमानी और पक्षपात को प्रोत्साहित करता है, जो कि विधि के शासन और संवैधानिक मूल्यों के नियम के पूरी तरह से खिलाफ है। इसलिए, मेरे विचार में, उत्तरवादी क्रमांक 2 को उन निविदाकर्ताओं को, जिन्हें निविदा दाखिल करने के लिए पात्र होने के लिए मुख्य दस्तावेज, जैसे कि आईएसओ प्रमाणपत्र, प्राधिकर पत्र आदि जमा करने की अनुमति दी गई थी, भले ही उन्होंने अनुमति दी हो, लेकिन इस सिद्धांत पर याचिकाकर्ता को भी 5 दिनों के भीतर अपने दोषों को सुधारने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा, क्रय समिति को फिर से जांच करने की प्रक्रिया में यह दर्शित करना चाहिए था कि पक्षों की उपस्थिति में दोषों को सुधारने की अनुमति दी गई थी और कौन से दस्तावेज जमा किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. अब, इस प्रश्न पर आते हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 3 निविदा के आमंत्रण (लिफाफा–1) के खंड 5 के अनुसार कारोबार की शर्त को पूरा न करने के कारण योग्य नहीं था, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "प्रतिभागी का औसत वार्षिक कारोबार। यह विक्रय कर प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित पिछले दो वर्षों 2002–2003, 2003–2004 के दौरान पांच करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। यदि निविदादाता निविदा के अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं तो पांच करोड़ का 10% + और – स्वीकार किया जा सकता है।" याचिकाकर्ता ने यहां रिट याचिका और दायर किए गए प्रत्युत्तर में इस बात का बल देकर कर विरोध किया है और यह बिंदु उठाया है कि दिनांक 30 सितंबर, 2004 तक, उत्तरवादी संख्या 3 का कारोबार निविदा की शर्तों के अनुसार नहीं था। प्रत्युत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि नाहर मेडिकल एजेंसियों के संबंध में याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से यह बिंदु उठाया है, लेकिन उत्तरवादी प्राधिकारियों ने दुर्भावनापूर्वक

इसे नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि वे नाहर मेडिकल एजेंसियों द्वारा की गई धोखाधड़ी से पूरी तरह अवगत हैं। नाहर मेडिकल एजेंसियों को अनुचित लाभ दिया गया है। राज्य ने केवल यह उत्तर दिया है कि निविदा (एन.आई.टी.) के नियमों और शर्तों के अनुसार है। उनकी ओर से यह विशेष रूप से उत्तर नहीं दिया गया है कि वाणिज्य कर विभाग के प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए गए थे। यहां तक कि उत्तरवादी क्रमांक 3 का उत्तर भी टालमटोल भरा है। दिनांक 27-5-2005 के अतिरिक्त प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने फिर से उल्लेख किया कि जहां तक आवश्यक कारोबार में कमी के लिए उत्तरवादी क्रमांक 3 की पात्रता का संबंध है, राज्य ने कुछ भी खुलासा किए बिना गुप्त रूप से चुप्पी साध रखी है, जबकि, उत्तरवादी क्रमांक 3 वर्ष 2002-03, 2003-04 के लिए अपने द्वारा प्रस्तुत वाणिज्य कर विवरण और यदि कोई संशोधित विवरण है, का पूरा विवरण अभिलेख पर रखने से बच रहा है। हालांकि, उत्तरवादी संख्या 3 ने निविदा दाखिल करने की अंतिम तिथि के एक साल तीन महीने बाद जारी किया गया एक दस्तावेज़ दिनांक 5-1-2005 (अनुलग्नक आर-3/9) दायर किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2002-03 में पहली बार में मूल कारोबार 11,89,983/- रुपये था और फिर 17,64,678/- रुपये था। इसके बाद, दो संशोधित विवरण दाखिल किए गए और दोनों विवरण प्रत्येक 2 करोड़ रुपये से अधिक के थे, लेकिन वे कब दाखिल किए गए और क्या वे मूल्यांकित किए गए हैं, यह इन दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं है। इसी तरह, वर्ष 2003-04 के लिए मूल विवरण 32,89,000/- रुपये से अधिक का था और उसके बाद तीन अतिरिक्त संशोधित विवरण दाखिल किए गए, एक 1,06,84,213/- रुपये का था, दूसरा 1,58,45,388/- रुपये का था और तीसरा 1,65,37,978/- रुपये का था। ये संशोधित विवरण कब जमा किए गए यह ज्ञात नहीं है। एनआईटी (NIT) की शर्त के अनुसार, निविदा आमंत्रण के खंड 5 के अनुसार, उत्तरवादी संख्या 2 को उत्तरवादी संख्या 3 से वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए वार्षिक कारोबार दर्शाने वाला बिक्री कर प्राधिकर का प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए कहना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. वर्तमान दी गई स्थिति में, जब पक्षकारों द्वारा लगातार आपत्तियां उठाई जा रही थीं, तो यह उत्तरवादी क्रमांक 2 का कर्तव्य था कि वह बिक्री कर विभाग से यह सत्यापित करवाए ताकि यह

पता लगाया जा सके कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 3, दिनांक 30 सितंबर, 2004 तक कारोबार के मामले में पात्र था। लेकिन, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने इस तरह की आवश्यक प्रक्रिया में प्रवेश करने के बजाय एक टालमटोल वाला जवाब दाखिल किया है। जिसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उत्तरवादी क्रमांक 2 एक लोक पदाधिकारी है और ऐसे उच्च मूल्य वाले अनुबंधों से निपटते समय, जिसमें सार्वजनिक धन शामिल था, उसका कर्तव्य था कि वह किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए (एन.आई.टी.) की शर्तों का पालन करे।

34. अब, उत्तरवादी संख्या 6 और 9 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा द्वारा उठाई गई आपत्ति पर आते हैं कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिका फर्म द्वारा दायर की गई है, फर्म को याचिका दायर करने का सुनवाई का कोई अधिकार (locus standi) नहीं है, और फर्म मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। लेकिन, मुझे इस तर्क में कोई सार नहीं मिलता क्योंकि याचिका प्रोप्राइटर कृष्ण विभूति आनंद के माध्यम से दायर की गई है, क्योंकि फर्म निविदादाता थी और कृष्ण विभूति आनंद उस फर्म के प्रोप्राइटर हैं जिन्होंने यह रिट याचिका दायर की है। इसलिए, उत्तरवादी संख्या 6 और 9 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न निराधार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. उत्तरवादीयो के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरवादियों द्वारा आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है, इसलिए, याचिका निष्फल हो गई है। जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह सच है कि कुछ हद तक आपूर्ति की गई है। जब उत्तरवादीयो को इस रिट याचिका को दायर करने के बारे में पता चला तो उन्होंने जल्दबाजी में आपूर्ति का आदेश दिया और आपूर्ति की गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अब तक केवल 31 वस्तुओं के संबंध में आदेश दिया गया है। इसके अलावा, निविदाएं दो साल की अवधि के लिए 78 वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आमंत्रित की गई थीं और भविष्य में भी आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए, इस आधार पर याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है।

36. यह सच है कि 78 वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दो साल के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और आपूर्ति का आदेश केवल 31 वस्तुओं के संबंध में दिया गया है, इसलिए, इस स्तर पर, इस आधार पर याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। उन आपूर्तियों के संबंध में, जो

उत्तरवादीयो द्वारा पहले ही की जा चुकी हैं, याचिकाकर्ता उचित मंच पर उचित कार्यवाही करने का हकदार है। लेकिन, उन आपूर्तियों के संबंध में, जिनका आदेश दिया जाना है और (एन.आई.टी.) के संबंध में निविदादाताओं द्वारा किया जाना है, याचिका को निष्फल नहीं माना जा सकता है, और शेष आपूर्तियों के लिए याचिकाकर्ता का मामला अभी भी सुनवाई योग्य है।

37. उत्तरवादीयो के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक और आपत्ति उठाई गई है कि उत्तरवादीयो ने पहले ही अनुबंध कर लिया है और उसे चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। लेकिन, इस संबंध में, मेरा सुविचारित मत है कि उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति इस कारण से सुनवाई योग्य नहीं है कि पहली बार में, याचिकाकर्ता ने अनुबंध के सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तरवादी बनाया था और अपनी निविदा की अस्वीकृति और उत्तरवादीयो की निविदा को स्वीकार करने के संबंध में आपत्तियां उठाई थीं। इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी सब कुछ जानते थे, उनके पास रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब देने का अवसर था, और उन्होंने भी अपना जवाब दाखिल किया और याचिका का विरोध किया, इसलिए, केवल इस तकनीकी आधार पर इस याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है जब पक्षकारों ने चुनौती के बारे में पूरी तरह से जानते हुए याचिका का विरोध किया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, केवल उत्तरवादियों को दिए गए अनुबंध को चुनौती न देने के आधार पर, याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुतोष खंड (कंडिका 7.3) में यह दावा किया गया है कि न्यायालय उत्तरवादियों को मूल्य बोली खोलकर याचिकाकर्ता की बोली पर विचार करने और विधि के अनुसार तथा निविदा सूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य करने का आदेश देते हुए परमादेश की उचित रिट जारी करे। इसलिए, यह अनुतोष देने में, मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखती। याचिका के खंड 7.4 में यह प्रार्थना की गई है कि कोई भी अन्य अनुतोष/अनुतोषों, जिसे न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, वह भी याचिकाकर्ता को प्रदान की जा सकती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पक्षकार उत्तरवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन्होंने याचिका का विरोध किया है, और जो बिंदु याचिकाकर्ता ने उठाए हैं, उत्तरवादी उनका विरोध करने और जवाब दाखिल करने में सक्षम रहे हैं। तो, 78 वस्तुओं में से 31 वस्तुओं की आपूर्ति के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश दिए जा चुके हैं और शेष वस्तुओं के लिए आदेश अभी भी दिए जाने हैं। इस प्रकार, निविदा वस्तुओं के शेष हिस्से के संबंध में, जिनकी आपूर्ति अभी तक नहीं की गई है और अनुबंध प्रदान नहीं किया गया है, उस हद तक याचिका सुनवाई योग्य है।

38. श्री पी. दिवाकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 4 के लिए ने यह तर्क दिया कि इस याचिका में विवादित तथ्य शामिल हैं, इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मुझे इस तर्क में कोई आधार नहीं लगता। इस संबंध में, मैं **ए.बी.एल. इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के (2004) 3 SCC 553** में दिए गए निर्णय से भी सहमत हूँ, जिसमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

> "उचित मामले में, रिट न्यायालय को विवादित प्रश्नों के तथ्य से संबंधित रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है और इसमें कोई पूर्ण बाधा नहीं है। इसलिए जहां तथ्य के विवादित प्रश्न संबंधित हैं दस्तावेजों या उसके भागों की व्याख्या/अर्थ से, ऐसे संबंधित मामलों में न्यायालय बहुत अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं और आपत्तियों का निर्णय कर सकते हैं यदि तथ्य अनुमति देते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. इस संबंध में, यह मामला संविदात्मक मामले से भी संबंधित है जिसमें एनआईटी की व्याख्या और निविदाकर्ता के चयन की प्रक्रिया शामिल है, जिसका निर्णय एनआईटी के आधार पर और पक्षों द्वारा दायर दस्तावेजों की व्याख्या करके बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है।

40. इसके अलावा, यह प्रकरण सार्वजनिक हित से संबंधित है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन शामिल है, और याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से आरोप लगाया है कि जिन दरों का हवाला दिया गया है, वे उत्तरवादीयो की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हैं। इसलिए, सार्वजनिक वित्त के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेनदेन में प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त हों, यह विवाद पूरी तरह से निजी पक्षों के हित से संबंधित नहीं है। इसमें सार्वजनिक निधि और सार्वजनिक धन से संबंधित प्रश्न भी शामिल है।

41. परिणामस्वरूप, रिट याचिका इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 को याचिकाकर्ता को दिनांक 17–11–2004 को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा उसकी बोली को खारिज करने के आधार पर और यदि याचिकाकर्ता उन दोषों को सुधार लेता है, तो उसी मानक पर, जिस पर अन्य उत्तरवादीयो की बोली को मान्य पाया गया, भविष्य की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली को खोला जाए और उसके बाद विधि के अनुसार विचार किया जाए।

42. उत्तरवादी क्रमांक 2 को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह विक्रय कर विभाग से यह पता लगाए कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 3 ने दिनांक 30 सितंबर, 2004 को आमन्त्रित निविदा की शर्त 5 एन.आई.टी. के अनुसार दिनांक 30 सितंबर, 2004 कारोबार की आवश्यकता को पूरा किया था, और 2002–03 और 2003–04 के लिए विक्रय कर विभाग से उत्तरवादी क्रमांक 3 के कारोबार की जानकारी प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता को उन दस्तावेज़ों का अवलोकन करने और उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। यदि उत्तरवादी क्रमांक 3, उसके बाद, योग्य पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन, यदि उत्तरवादी क्रमांक 3 अयोग्य पाया जाता है, तो उत्तरवादी क्रमांक 3 को आगे कोई आपूर्ति आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. जैसा कि इस आदेश के पहले भाग में देखा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद कुछ निविदाकर्ताओं को दोषों को ठीक करने की अनुमति दी थी, और पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता था। लेकिन, इस तथ्य को देखते हुए कि कुछ आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है और ऐसा आदेश अनावश्यक रूप से चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में देरी करेगा और इसलिए वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है, अतः, व्यापक जनहित में उपरोक्त आदेश पारित किया गया है।"

सही/–
एल.सी.भादू
न्यायाधीश
13–7–2005

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है कि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By T.R.Burman

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur